पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

भीमसोर

ग्राम पंचायत – करौली

तहसील व ब्लॉक – बिछीवाड़ा

जिला – डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास – 300 साल पहले ठाकुर नागर सिंह जी दरबार, डूंगरपुर ने जंगल में पहाड़ियों के बीच एक सरोवर बनाया। यह एक भीम (बड़ा) सरोवर था। धीरे-धीरे उस भीम सरोवर(तालाब) के आसपास की जमीन पर आदिवासी लोगों ने कब्जा कर लिया और वहीं बस गए। जिस जगह उन्होंने अपना रहवास बनाया उस जगह का नाम भीम सरोवर से निकटता होने कारण भीमसोर पड़ गया। गाँव लगभग 250-300 साल पुराना है। वह तालाब आज भी है, लेकिन उस तालाब में भैंसों के नहाने से अब उसे भैंसा बेड़ी तालाब के नाम से जाना जाता है। भीमसोर गाँव में एक शीतला माता का मंदिर है।

गाँव का एक परिचय – डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर पश्चिम में भीमसोर गाँव बसा हुआ है जिसकी ग्राम पंचायत करौली और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गाँव में 178 परिवार रहते हैं जो सिर्फ आदिवासी हैं उनमें सभी ननोमा उपजाति (अटक) के लोग हैं। गाँव में दो फले हैं - एक निचला फला और एक उपला फला। गाँव के लोग गेहूं, मक्का और चना आदि फसल पैदा करते हैं। उनकी खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो–चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

आवागमन की स्थिति – डूंगरपुर से भीमसोर जाने के लिए डूंगरपुर से बिछीवाड़ा रोड पर रेलवे फाटक बलवाड़ा तक बस मिलती है। रेलवे फाटक से उत्तर दिशा की ओर डेढ़–दो किलोमीटर पैदल चलकर भीमसोर पहुचते हैं। रेलवे फाटक से थोड़ी दूर कच्चा रास्ता है उसके बाद पक्की सड़क है जो गाँव तक जाती है। आदिवासी परिवार दूर–दूर पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने–जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। रेलवे फाटक बलवाड़ा से गाँव में आने–जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। वहाँ पैदल या अपने साधन से आना–जाना पड़ता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति – गाँव में दो आंगनवाड़ी एक निचला फला में और एक उपला फला में हैं। भीमसोर में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मरीजों को इलाज के लिए कनबा (7 किलोमीटर) या घुघरा (4 किलोमीटर) जाना पड़ता है। दवा खरीदने के लिए भी कनबा (7 किलोमीटर दूर) जाना पड़ता है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको डूंगरपुर ले जाना पड़ता है। इसके लिए गंभीर मरीजों को चारपाई या झोली में डालकर 2–3 किलोमीटर पैदल रेलवे फाटक बलवाड़ा तक ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव में एक प्राथमिक स्कूल है इसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं और 3 अध्यापक हैं। स्कूल में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। स्कूल में खेल मैदान भी नहीं है। स्कूल में शौचालय है पर उसमें पानी की सुविधा नहीं है। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बच्चों को उनकी कक्षा स्तर का ज्ञान तक नहीं है। छठी से बारहवीं तक पढ़ने के लिए करौली या कनबा जाना पड़ता है और डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए डूंगरपुर जाना पड़ता है। गाँव में पशु चिकित्सा की सुविधा भी नहीं है उसके लिए भी कनबा जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है–

आवागमन की कमी – डूंगरपुर से भीमसोर जाने के लिए डूंगरपुर से रेलवे फाटक बलवाड़ा तक बस मिलती है। रेलवे फाटक से उत्तर दिशा की ओर डेढ़–दो किलोमीटर पैदल चलकर भीमसोर पहुचते हैं। आदिवासी परिवार दूर–दूर पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। रेलवे फाटक बलवाड़ा से गाँव में आने–जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। वहाँ पैदल या अपने साधन से आना–जाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी – गाँव की समतल जमीन कुछ परिवारों के कब्जे में है और गाँव का चरागाह जो पहाड़ियों पर है, उस पर गाँव के लोगों का कब्जा है। शेष गाँववासियों के पास जो खेत की जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पर पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गाँव की समतल जमीन और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग की गाँव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां न तो उनके नाम है न ही उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गाँव में 12 कुए, 7 हैण्ड पम्प और दो तालाब हैं – भैंसा बेड़ी तालाब, पीपला वाला तालाब। जिसमें से भैंसा बेड़ी तालाब में बरसात के बाद भी पानी रहता है जबकि पीपला वाला तालाब बरसात के बाद सूख जाता है। गाँव में 5 चेक डैम हैं जिनमें बरसात तक तो पानी रहता है उसके बाद सूख जाता है। कुछ कुओं में वर्ष भर पानी रहता है। सिंचाई के लिए कुछ परिवार के लोगों ने 15 बोरवेल(ट्यूबवेल) लगा रखे हैं जिनमें भी बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है। अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की योजना गाँव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। भीमसौर गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग गहराईयों वाला पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। इसके बारे में लोगों की कोई योजना नहीं है न ही गाँव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट ही है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति – गाँव के लोगों के पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। चारे की कमी के कारण लोग पशुपालन भी नहीं कर सकते हैं। कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं वहाँ भी उन्हें 100 रु. से कम ही मजदूरी मिलती है और काम भी 60-70 दिन ही मिलता है, साल 2017 में मात्र 24 दिन ही काम मिला। इसलिए मनरेगा में अधिकतर महिलाएं जाती है। युवा पुरुष गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। गाँव में तीन लोग सरकारी नौकरी में है जिसमें से एक आगनवाड़ी कार्यकर्ता, एक चिकित्सा विभाग में तथा एक अध्यापक है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं –

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	गाँव में 12 कुए, 15 बोरवेल, 7 हैण्डपम्प और दो तालाब हैं। पहला भैंसा बेड़ी तालाब, दूसरा पीपला वाला तालाब। जिसमें से भैंसा बेड़ी तालाब में बरसात के बाद भी पानी रहता है जबकि पीपला वाला तालाब सूख जाता है। 5 चेक डैम हैं जो सूखे हुए हैं। सिंचाई के लिए गाँव में 15 निजी	गाँव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण और तालाब का गहरीकरण और मरम्मत कर दी जाए तो गाँव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। तो जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक

	ट्यूबवेल है जिससे वह अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं लेकिन गर्मियों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण उनके ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है।	कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। समतल जमीन काफी उपजाऊ है। गाँव में बिला नाम जमीन भी है जिस पर लोगों का कब्जा है। गाँव में चारागाह पर गाँव के लोगों का कब्जा है। जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गाँव की कुछ जमीन का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीन को गाँव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव के कुछ लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल और भैंस पालते हैं। कुछ परिवारों में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर दूध देती है और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। उनके लिये बकरी पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह नहीं है। पशुओं के लिए चारा मार्च महीने तक समाप्त हो जाता है गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिती में नहीं हैं। इसलिए पानी और चारे के अभाव में गर्मियों में उनके पशु बहुत कमजोर हो जाते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गाँव में नहीं है। लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी कम दिन ही मिलता है। पिछले साल 24 दिन ही काम मिला और मजदूरी भी 100 रु. प्रति दिन से कम ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - ज्यादातर गाँव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पेंशन, आवास और श्रमिक कार्ड नहीं है। जिन लोगों के आवास बने भी हैं तो उनका भुगतान बाकी है। सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी-कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा न तो उनको चावल, चीनी

और न ही मिट्टी का तेल मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता –

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	पंचायती राज विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण गाँव के जिन रास्तों का निर्माण किया जाता है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होता और रास्ते जल्द ही ख़राब होकर टूट फूट जाते हैं। जहाँ गाँव में कुछ लोग प्रभावशाली और जागरूक है वहां तो रास्ते बने हैं। जिन फलों में लोग जागरुक नहीं हैं और न ही प्रभावशाली है वहां रास्ते का संकट है।	गाँव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां–जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है।	**तात्कालिक**	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो पर्याप्त अध्यापक हैं और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही	इस समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	**तात्कालिक**	

			है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है। विद्यार्थियों को विद्यालय में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है।			
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नतशील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। गाँव के दोनों तालाबों का गहरीकरण करके और मरम्मत करके। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देकर।	**तात्कालिक**	
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गाँव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से भी कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**	
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गाँव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा	**दीर्घकालिक**	

			विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।		
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। बोरवेल ज्यादा लगने और बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से गर्मियों में पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths **शक्तियां**	**W- Weakness** **कमजोरी**	**O- Opportunities** **अवसर**	**T- Threats** **चुनौतियां**
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	गाँव के लोगों द्वारा रास्तों के लिए जमीन नहीं देना। कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे-मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँवमजबूत का कमेटियों ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल तालाब कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव में 5 चेकडैम है लेकिन उनका पानी बरसात के बाद रिस कर निकल जाना। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी। तालाब का पानी भी सूख जाना। अंध विश्वास के चलते	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जा सकता हैं। तालाबों को गहरा करके। सौरऊर्जा चलित पम्प का	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।

	जल प्रबंधन की समस्या पर ध्यान नहीं देना।	उपयोग सिंचाई के लिए करके। गाँव में जल प्रबंधन की समस्या पर ध्यान देकर।	
आजीविका के साधन	गाँव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। तालाबों में मछली पालन नहीं करना।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती तथा मछली पालन से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन, तालाब और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा –

नजरिया नक्शा भीमसोर

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण –

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	पेंशन के संबंध में		
	वृद्धा पेंशन	1	1
	विधवा पेंशन	2	2
	विकलांग पेंशन	3	3
	एकल नारी	3	3
	पालनहार	4	4
2	परिचय पत्र में उम्र (ठीक करवाने के) बढ़ाने के संबंध में	4	4

3	आवास के संबंध में	24	24
4	बकाया किस्त भुगतान(आवास)	1	1
5	शौचालय निर्माण के संबंध में	4	4
6	शौचालय निर्माण की बकाया किस्त का भुगतान	3	3
7	विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति, कमरा निर्माण और शुद्ध पानी की व्यवस्था के संबंध में	1	--
8	आंगनवाड़ी का कार्य पूरा करने के संबंध में	1	--
9	राशन की दुकान खोलने के संबंध में	1	गाँव के समस्त परिवार
10	उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में	1	गाँव के समस्त परिवार
11	सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में	1	गाँव के समस्त परिवार
12	तालाब मरम्मत के संबंध में	1	गाँव के समस्त परिवार
13	रास्ता निर्माण के संबंध में	5	--
14	नया हैंडपंप लगाने के संबंध में	13	130
15	पुराने हैंडपंप की मरम्मत के संबंध में	1	10
16	केटेगरी 4 के कार्य - खेत समतलीकरण, कुआं निर्माण/गहर कुआं, पशु बाड़ा निर्माण	46	46
17	कच्चे चेक डैम निर्माण के संबंध में	25	25
18	वृक्षारोपण के संबंध में	9	9
19	एनीकट निर्माण के संबंध में	2	--

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया –

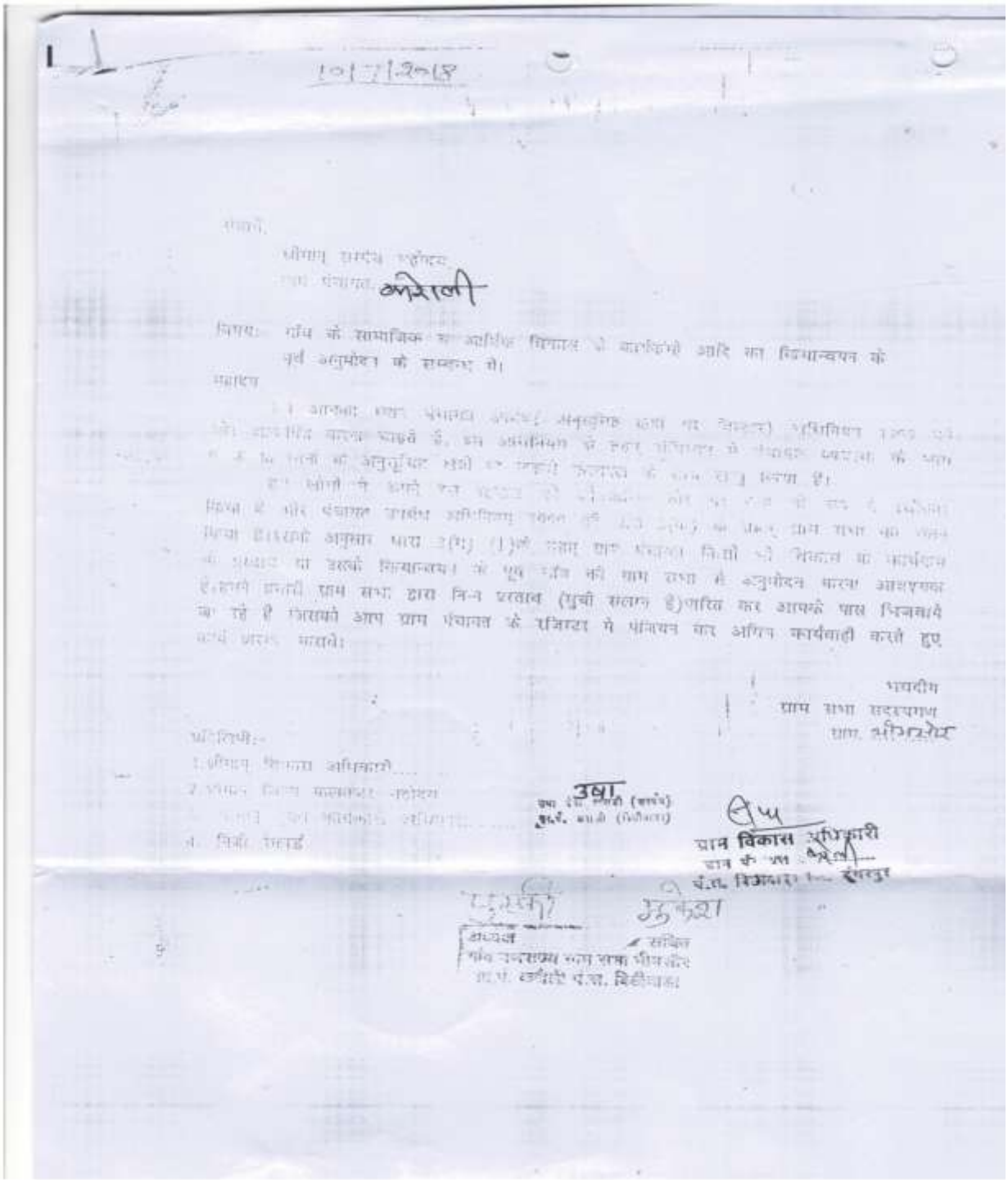

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

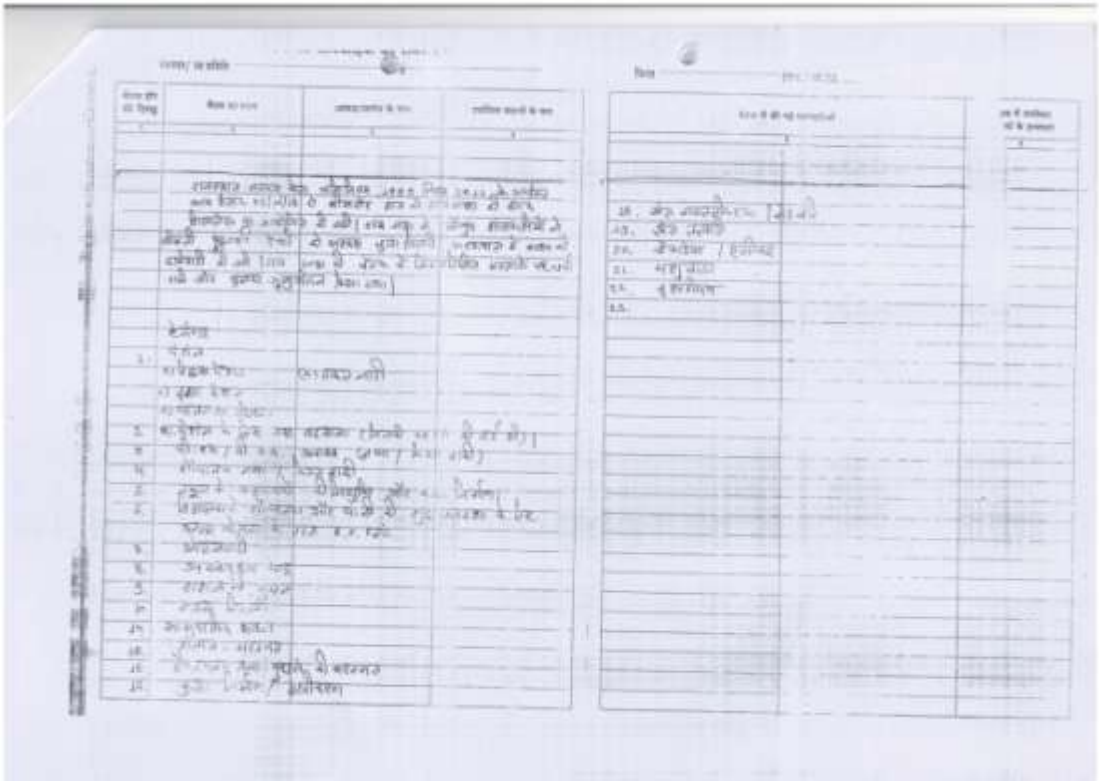

प्रस्ताव प्रथम पेज

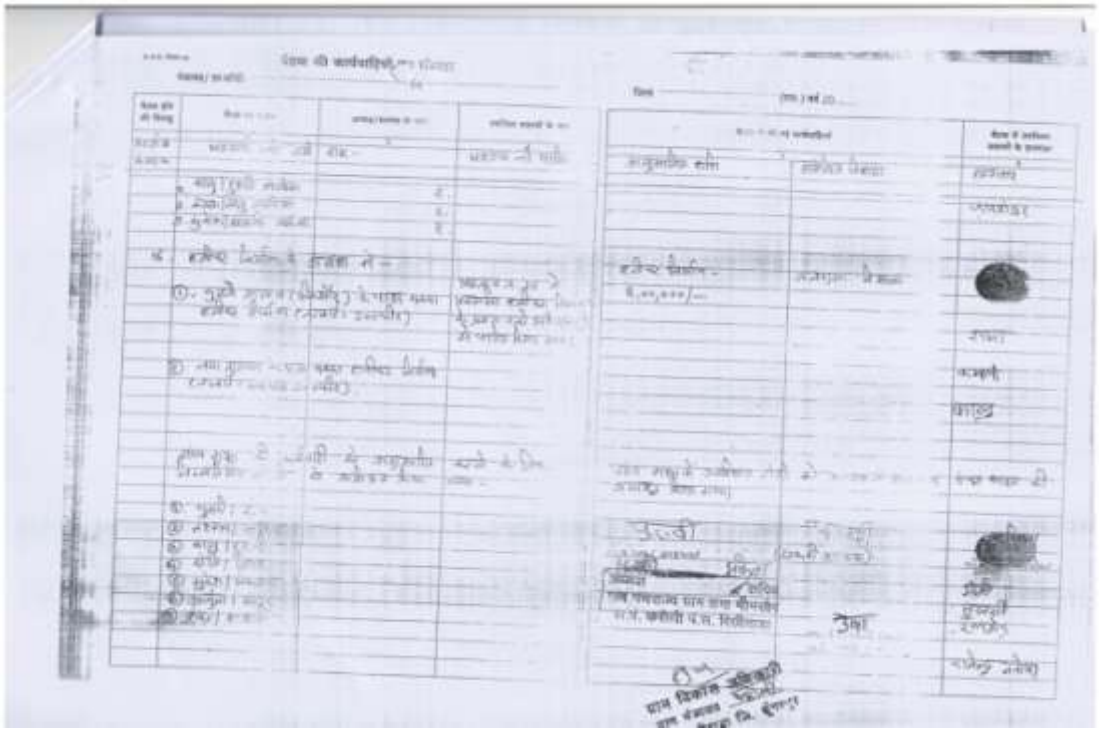

प्रस्ताव अंतिम पेज

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) –

नाम	**फोन न.**
1. गवरी देवी –	7568777579
2. सीमा ननोमा –	9672769125
3. तुलसी –	8769652850